

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / २०२५ / ४८२/२२

रीवा, दिनांक १८/०२/२५

## अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवन विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणिशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :—

### प्राणिशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1. डॉ. अरुणा सिंह

विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग,

सं. गां. स्मृ. शास. स्नातकोत्तरमहाविद्यालय, सीधी(म.प्र.)

2. डॉ. मनीष त्रिपाठी

विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग,

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय जवा, जिला रीवा(म.प्र.)

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. डॉ. शेरेन्द्र कुमार साहू

विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग,

शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर(म.प्र.)

2. डॉ. रामसुरेश भाटी

विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग,

सं. गां. स्मृ. शास. स्नातकोत्तरमहाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

28(2) पाँच

1. डॉ. अमिततिवारी

विभागाध्यक्ष,

शास. ठार.सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

2. डॉ. शिवेश प्रताप सिंह

विभागाध्यक्ष,


शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. अरुणा सिंह को प्राणिशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निजसहायक

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

